कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 16 / 2016–17

मसो0 जगीया,
पति स्व0 बंधन यादव,
ग्राम– असनाबाद, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

01/8/16

आवेदक मसो0 जगीया, पति स्व0 बंधन यादव, ग्राम– असनाबाद, झु0 ति0, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 77, प्लॉट नं0 330, 347, 355 वगैरह कुल 23 प्लॉट का कुल रकवा 3.53¼ ए0 भूमि की सरकारी रसीद मसो0 सोनियां पति गणेश गोप वगै0 के नाम से निर्गत होते आ रहा था, जिसका केवाला सं0 147 दिनांक 06.01.1953 है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 22/8/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

22/8/16
18/10/16

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 77, प्लॉट नं0 330, 347, 355 वगैरह कुल 23 प्लॉट का कुल रकवा 3.53¼ ए0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 159/5 पर मसो0 सोनियां पति गणेश गोप वगै0 के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के क्रम में श्री टिंकु वर्मा पिता रामचन्द्र वर्मा, श्री हरि सिंह पिता बबुन सिंह, श्री मनोज शर्मा पिता रामचरण शर्मा, इमरान अंसारी पिता रफीक अंसारी, राम प्रसाद यादव पिता अकल यादव वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 798298, दि0 21.02.57, 552166 दि0 24.03.69, 632357 दि0 15.02.77, 551890 दि0 14.02.85 एवं 2033941 दि0 28.01.03 वगैरह की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर मसो0 सोनियां पति गणेश गोप वगै0 के नाम से दर्ज था। अंचल नाजिर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0 2033941 दि0 28.01.03 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा असना, खाता नं0 77, केवाला में दर्ज प्लॉट नं0 330, 347, 355 वगैरह कुल रकवा 3.53¼ ए0 का स्थल जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि प्लॉट नं0 330347, 358 के अंश में बॉण्ड्री एवं वारी का कार्य किया गया है तथा प्लॉट नं0 1534 के अंश में बॉण्ड्री है तथा शेष भूमि परती एवं खेती का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर आवेदिका एवं इनके वंशजों का दखल कब्जा है। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया। संलग्न कागजातों एवं इनके शपथ पत्र सं0 19 दिनांक 13.06.16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में उक्त जमाबन्दी का पूरा जमीन बचा हुआ है, जिसपर इनका एवं गोतिया का वर्षों से दखल कब्जा चला आ रहा है।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 77, प्लॉट नं0 330, 347, 355 वगैरह कुल 23 प्लॉट का कुल रकवा 3.53¼ ए0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 77, प्लॉट नं0 330, 347, 355 वगैरह कुल 23 प्लॉटों का कुल रकवा 3.53¼ ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक मसो0 सोनियां पति गणेश गोप वगै0 के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

28/10/16

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।